भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 248

उत्तर देने की तारीख 24.06.2019

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रम

248. **श्री कनकमल कटाराः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क (राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख (गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान को प्रदान की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग (गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत उपयोग और प्राप्त की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) : सरकार ने राजस्थान सहित देश भर में रहने वाले जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है , जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, कौशल विकास, आजीविका आदि के लिए सहायता शामिल है। देश में जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का अधिकांश भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के माध्यम से वहन किया जाता है , जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को भरने के रूप में इन पहलों के लिए अपना योगदान प्रदान करता है । राजस्थान सहित देश में कार्यान्वित की जा रही जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) :गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की कुछ स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत राजस्थान सरकार को निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक- II** में दिये गये हैं।

'राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक <u>24-06-2019 को</u> श्री कनकमल कटारा द्वारा <u>पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

<u>जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:</u>

I. **<u>जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए):</u>**

जनजातीय उप-योजना को विशेष कैंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) जो भारत सरकार की ओर से 100% अनुदान है। जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को अनुदान जारी किये जाते हैं।राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों जिन पर परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) में विचार किया गया है, के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरती हैं। राज्यों को 100% अनुदान जारी किए जाते हैं। देश में जनजातीय बहुत क्षेत्रों में अवसंरचना विकास का प्रमुख भाग और जनजातीय लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसएस को एससीए के तहत अंतरों को भरने के लिए इन पहलों के लिए अपना योगदान प्रदान करता है।

II.<u>भारत के संविधान 275 (1) के तहत अनुदान:</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान ' नामक एक कार्यक्रम चलाता है जिसमें अजजा जनसंख्या वाले 27 राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधियन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत निधियन का लक्ष्य विकास की ऐसी स्कीमों की लागत को पूरा करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाना है जिन्हें वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य अथवा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक उत्थान के लिए कर सकते हैं। निधियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और कौशल विकास / अन्य आय सृजन स्कीमों के प्रति जारी की जाती है। इस उपाय का लक्ष्य जनजातीय परिवारों की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संरचना/संस्थागत रूपरेखा को बढ़ाना है।

III. <u>अति संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी) की स्कीम :-</u>

अनुसूचित जनजातियों में कुछ समूह हैं जिनकी गिरती हुई अथवा स्थिर जनसंख्या है साक्षरता का स्तर निम्न है कृषि पुराने स्तर की प्रौद्योगिकी है तथा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये समूह हमारी सोसाइटी के सबसे कमजोर वर्ग हैं क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं और उन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतः वे खराब अवसंरचना और

प्रशासनिक सहायता से दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में चिह्नित एवं श्रेणीबद्ध किया गया है।

2. इस स्कीम में 75 चिह्नित पीवीटीजी सम्मिलित हैं। यह स्कीम बहुत लचीली है और यह प्रत्येक राज्य को पीवीटीजी के लिए किसी विकासीय कार्यकलाप अर्थात आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना , सामाजिक सुरक्षा अथवा पीवीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किसी नवीन कार्यकलाप पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है |

IV. <u>अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की सकीम</u>:

यह स्कीम 1953-54 में शुरू की गई थी तथा को इसे पिछली बार 1 अप्रैल, 2008 संशोधित किया गया था | इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, कृषि बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा रहित जनजातीय क्षेत्रों में अंतर भरना और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा सम्पूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है | अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष साकारात्मक प्रभाव वाले किसी अन्य नवीन कार्यकलाप पर भी स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है | यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है | गैर-सरकारी संगठनों को संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की विधिवत सिफारिश पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर अनुदान प्रदान किये जाते हैं | सरकार द्वारा सामान्यत: 90% तक निधियां प्रदान की जाती हैं | स्वैच्छिक संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि शेष 10% वह अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करें |

V<u>. कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं की शिक्षा के लिए सुदृढ़ीकरण की स्कीम:</u>

इस केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य देश के कम साक्षरता वाले चिन्हित जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का संवर्धन है | इस स्कीम को 01 अप्रैल, 2008 में संशोधित किया गया और इसका लक्ष्य महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से गरीब तथा अनपढ़ जनजातीय जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना है | स्कीम 01.04.2008 से संशोधित की गई है अब यह स्कीम 54 चिन्हित निम्न साक्षरता वाले उन जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां 2001 की जनगणना, के अनुसार अजजा की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अजजा की महिला साक्षरता दर 35% से कम है | इस स्कीम का लक्ष्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों के अंतर को भरना है और यह स्कीम केवल अजजा की बालिकाओं के लिए है | चिन्हित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर स्थापित किये जाते हैं और यहां कक्षा XII तक अपग्रेडेशन के प्रावधान के साथ I से V तक कक्षाएं होती हैं, बशर्ते की यहां कक्षा- कक्षों, छात्रावास, रसोई, बगीचे और खेल सुविधाओं के लिए समुचित जगह हो | शैक्षिक परिसर न केवल जनजातीय बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा देते है अपितु

छात्राओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें कृषि, पशु पालन, अन्य व्यवसायों और शिल्पों में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं |

VI. <u>अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:</u>

• कक्षा IX - X में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है।

• सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए , जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये करने का प्रस्ताव है।

• दिवाछात्र के लिए छात्रवृत्ति 150/- रूपये प्रतिमाह तथा छात्रावासियों के लिए 350/- रूपये प्रतिमाह है जो वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए दी जाती है | इसे वर्तमान में दिवाछात्र के लिए 150/- रूपये से 225/- रूपये प्रतिमाह तथा छात्रावासियों के लिए 350/- रूपये से 525/- रूपये तक संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है |

• छात्रवृत्ति राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है।

• वर्ष 2014-15 से केंद्र तथा राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है तथा पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है |

VII. <u>अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:</u>

- उन विद्यार्थियों के लिए लागू है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन / कक्षा 10 अथवा इससे उपर है |
- माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए |
- शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है जो संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रूपये से 1200 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाता है |
- छात्रवृत्ति राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है।
- वर्ष 2014-15 से केंद्र तथा राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशानों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है तथा पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है |

VIII. <u>विदेश में अध्ययन हेतु अजजा के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां</u>

- स्कीम विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डाक्टरोत्तर अध्ययन के लिए चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है |
- प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियां दिये जाते हैं | इनमें से अजजा के लिए 17 छात्रवृत्तियां तथा अति संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए 3 छात्रवृत्तियां हैं |
- माता-पिता / परिवार की सभी स्रोतों से आय 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- छात्रवृत्तियों का वितरण विदेश मंत्रालय / विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से किया जाता है |

IX. <u>अजजा के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति</u>:

(i) <u>उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (इससे पूर्व "अजजा के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा" के रूप में ज्ञात) :</u>

- छात्रवृत्ति मंत्रालय द्वारा चिन्हित आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएम, एनआईआईटी आदि देश के 246 उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी भी संस्थान में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अजजा के विद्यार्थियों को दी जाती है |
- छात्रवृत्तियों की कुल संख्या **1000** प्रति वर्ष है।
- सभी स्रोतों से परिवार की आय 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए **|**
- छात्रवृत्ति की राशि में ट्यूशन शुल्क**,** रहने का खर्च और पुस्तकों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ii) <u>अध्येतावृत्ति (इससे पूर्व "अजजा के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम" के रूप में ज्ञात) :</u>

- एमफिल तथा पीएचडी के लिए भारत में उच्च तर अध्ययनों के लिए अजजा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है।
- एमफिल के लिए 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा पीएचडी के लिए 28000 रूपये प्रतिमाह की दर से अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।
    - मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अध्येताओं के लिए आकस्मिक व्यय पहले दो वर्ष के लिए 10000 रूपये वार्षिक की दर से तथा शेष अवधि के लिए 20500 रूपये वार्षिक की दर से प्रदान किया जाता है।
    - विज्ञान, इंजिनिरियरिंग, प्रौद्धोगिकी में अध्येताओं के लिए आकस्मिक व्यय पहले दो वर्ष के लिए 12000 रूपये वार्षिक तथा शेष अवधि के लिए 25000 रूपये वार्षिक की दर से प्रदान किया जाता है।

- शारीरिक तथा नेत्रहीन अभ्यर्थियों के मामले में अनुरक्षण / वाचक सहायता 2000 रूपये प्रति माह की दर से प्रदान की जाती है।
- विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालयों के नियमानुसार एचआरए है ।

• अधिकतम अवधि वाली छात्रवृत्तियां निम्नानुसार हैं:

क.	एम.फिल	-	2 वर्ष
ख.	केवल पीएचडी	-	5 वर्ष
ग.	एमफिल + पीएचडी	-	2 वर्ष (एमफिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

X. <u>जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास तथा विपणन के लिए संस्थगत सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम):-</u>

इस स्कीम के तहत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) तथा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत बहु राज्यीय सहकारिता है, को सहायता अनुदान जारी किये जाते हैं |

<u>इस स्कीम का कार्यक्षेत्र</u>: -

1) उत्पादन की संपूर्ण श्रृंखला, उत्पाद विकास, परंपरागत विरासत के संरक्षण में विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को संपूर्ण सहायता देना, जनजातीय लोगों के वन तथा कृषि दोनों उत्पादों के लिए सहायता देना उपर्युक्त कार्यकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता देना, बेहतर अवसंरचना, डिजाइनों के विकास, मूल्य तथा उत्पाद खरीदने वाली एजेंसियों के बारे में सूचना का प्रसार, निरंतर विपणन के लिए सरकारी एजेंसियों को सहायता तथा इसके द्वारा उचित मूल्य की व्यवस्था सुनिश्चित करना |
2) ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के साथ सूचना की साझेदारी करना।
3) बाजार में, मूल्य में बढ़ोत्तरी के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगितावादी उत्पादों का विकास।

<u>स्कीम का उद्देश्य</u>:-

इस स्कीम का उद्देश्य उन कार्यकलापों जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, के विपणन तथा विकास के समर्थन के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु संस्थान सृजित करना है | इनकी विशेष उपायों द्वारा उपलब्धि की व्यवस्था की जाती है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप, (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, एमएफपी संग्रकर्ताओं आदि का प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन, (iii) आरएनडी / आईपीआर कार्यकलाप तथा (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास

XI. एमएफपी संग्रहकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम):-

वर्ष 2013-14 से इस मंत्रालय ने एमएफपी संग्रहकर्ताओं, जो प्राथमिक रूप से अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के सदस्य हैं तथा जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रह तथा बिक्री पर निर्भर है, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में ' में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' की केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है |

2 स्कीम संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में उनके प्रयासों के लिए उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है | यह घटती लागत के साथ बिक्री प्रक्रिया से उन्हें राजस्व की साझेदारी प्राप्त करने की भी व्यवस्था करती है | यह प्रक्रिया की निरंतरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए भी लक्षित है |

3 स्कीम चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण तथा घोषणा की परिकल्पना करती है | पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद तथा विपणन परिचालन पदनामित राज्य एजेंसियों द्वारा किये जायेंगे | इसके साथ साथ अन्य मध्यम तथा लंबी अवधि के मुद्दे जैसे निरंतर संग्रह, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, एमएफपी का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार असूचना विकास, ग्राम सभा / पंचायत का सुदृढ़ीकरण की शक्ति का भी समाधान किया जायेगा |

XII. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एसटीएफडीसी) को सहायता:-

एनएसटीएफडीसी भारत सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% इक्विटी शेयर पूंजी अंशदान प्रदान किया जाता है निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 750.00 करोड़ रूपये है | इसकी पेडअप शेयर पूंजी 570.00 करोड़ रूपये है (15.03.2017 तक) | एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं **:-**

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके |
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना |
- मौजूदा राज्य / संघ राज्यक्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना |
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना |
- इसके प्रभाव का आंकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना |

एसटीएफडीसी विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रबंध कर रही है और उन्हें इस मंत्रालय द्वारा शेयर पूंजी के प्रति अंशदान के रूप में सहायता प्रदान करते हैं | इसके अंशदान का अनुपात राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 51:49 का है | इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं **:-**

- पात्र अजजा परिवारों की पहचान और उन्हें आर्थिक विकास स्कीमें करने के लिए प्रेरित करना
- ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों को उन स्कीमों को प्रायोजित करना
- ब्याज की कम दरों पर मार्जन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना औरे
- अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक संयोजन / टाईअप प्रदान करना

XIII. '<u>जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता स्कीम</u>':

यह टीआरआई को सीधे ही अथवा मंत्रालय की सर्वोच्च समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा 100% निधियन के साथ केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है | इस स्कीम को जारी रखा जाना पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं (2017) | वार्षिक प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा अनुमोदन सामान्यत: प्रथम तिमाही / वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च समिति द्वारा किया जाता है | "टीआरआई को सहायता" स्कीम के तहत राज्यीय टीआरआई के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा सितंबर माह में की जाती है | जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं | टीआरआई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और इनकी प्रशासनिक रूप से सहायता की जाती है |

इस स्कीम का मूलभूत उद्देश्य उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान एवं परिलेखन कार्यकलापों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सुदृढ़ करना है | इस स्कीम का फोकस प्रत्येक जनजातीय बहुल राज्यों में टीआरआई स्थापित करना है | यह परिकल्पना की जाती है कि टीआरआई ज्ञान एवं अनुसंधान निकाय के रूप में जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बुद्धिजीवी के रूप में कार्य करे और साक्ष्य आधारित प्लानिंग तथा उपयुक्त विधान, जनजातीय कार्यों से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों / संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार और जागरूकता सृजन के लिए राज्यों को निविष्टियां प्रदान करे | जनजातीय लोगों के वीरता पूर्ण कार्यों की पहचान के लिए सरकार ने राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने का संकल्प लिया है |

XIV. 'जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा' की योजना:

योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययन के अंतर को भरने और समृद्ध आदिवासी को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल वृत्तचित्र सहित पुस्तकों / प्रलेखन के विभिन्न अनुसंधान अध्ययन / प्रकाशन के लिए संस्थानों / संगठनों को उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) के रूप में चिह्नित करने और

मान्यता प्रदान करना तथा सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ जनजातीय मामलों से जुड़े जनजातीय व्यक्तियों / संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता का निर्माण करना है।

देश में जनजातीय समुदायों के बीच अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय पहली बार प्राप्त प्रस्तावों और अनुमोदित अध्ययनों के आधार पर उन्हें वित्त पोषण कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य जनजातीय विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन, पंजीकृत व्यावसायिक संगठन और स्वायत्त निकाय सहित क्षमता वाले संस्थानों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थानों में सक्रिय अनुसंधान को समर्थन और मजबूत करना है। प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठन, अनुसंधान संस्थान और संगठन, जहाँ विशेषज्ञता मौजूद है और जिन्होंने पहले से ही आदिवासी संस्कृतियों के अध्ययन और विशेष विषय क्षेत्रों में उनके विकास और विस्तार के काम के क्षेत्र में अग्रणी शोध करके एक छाप छोड़ी है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में घोषित संस्थानों / संगठनों को **100%** अनुदान प्रदान किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य पर किसी विशेष संस्थान / संगठन द्वारा किए गए शोध अध्ययन / प्रलेखन की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार होगा और मंत्रालय द्वारा पूछे गए किसी भी संशोधन को संबंधित संस्थान / संगठन द्वारा किया जाएगा। अनुसंधान अध्ययन / प्रलेखन कार्य रिपोर्ट की अवधि उत्कृष्टता केन्द्र को 8-12 महीने के अंदर सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

इस योजना के तहत अनुदान जनजातीय संस्कृतियों के प्रलेखन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है , जिसमें नृत्य, संगीत, गीत, भाषा, बोलियाँ, जनजातीय कला, पारंपरिक दवाएं और खेल , प्रथागत कानून और धर्म शामिल हैं। जनजातीय लघु वनोपज (एमएफपी) अधिकारों , महिला अनुसूचित क्षेत्रों और छठे अनुसूचित क्षेत्रों में महिला अधिकारों पर शोध लघु और प्रमुख परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों / जनजातीय क्षेत्रों के प्रवास , विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्वास पर शोध अध्ययन। अजजा के लिए धन उधार / ऋण मोचन पर विभिन्न अधिनियमों / विनियमों का प्रसार। उनकी जनसंख्या, प्रथागत कानूनों और संस्कृति के संबंध में अति संवेदनशील समूहों (पीवीटीजी) का दस्तावेजीकरण। महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सहित प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी न्यूनतम जरूरतों के बारे में एसटी के बीच जागरूकता अभियान का संगठन , पीने का पानी और प्राथमिक शिक्षा , अनुसूचित जनजातियों के अनुसंधान और प्रलेखन से संबंधित मुद्दों का प्रकाशन। जनजातीय मुद्दों से संबंधित मामलों पर सेमिनार / कार्यशाला का संगठन आदिवासी कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण।

*****

<u>अनुलग्नक -II</u>

<u>'राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 24-06-2019 को श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

<u>विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत राजस्थान राज्य सरकार को निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे:</u>

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रमे का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोग किया गया
1.	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	3284.79	3284.79	1716.12	1716.12
2.	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	9800.00	9800.00	19912.49	19912.49	13598.95	13598.95
3.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	10341.39	10341.39	10240.58*	2048.12	13769.23*	10467.53
4.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)	1331.00	1331.00	1038.00	1038.00	1008.00	0.00
5.	जनजातीय उत्पाद/उपज	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन	0.00	0.00	169.25	#	214.00	#
7.	जनजातीय उप-योजना (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	11702.90	11702.90	10051.83	10051.83	10327.93	2093.58
8.	अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	67.83	**	14.50	**	126.02	**
9.	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	148.78	**	25.13	**	168.17	**

*** ईएमआरएस वर्ष 2018-19 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों की स्कीम के अंतर्गत एक घटक था और अत: इस आंकड़े में ईएमआरएस के लिए निर्मुक्ति तथा उपयोग भी शामिल है**

** निधियां विगत वर्षों के उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही जारी की जाती हैं

97.09 लाख रूपये के उपयोग प्रमाण पत्र देय हैं |

****